



# अबुआ आगार हेमण्ड सरकार



## अधिवक्तागण के समृद्ध भविष्य के लिए सरकार का प्रयास

देश में पहली बार हेमण्ड सरकार द्वारा अधिवक्ता  
कल्याण हेतु लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय

### ₹5 लाख

तक का स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा

झारखण्ड राज्यकृत एडवोकेट वेलफेर फंड  
के सभी सदस्यों को राज्य सरकार एडवोकेट  
वेलफेर फंड के माध्यम से ₹5 लाख तक  
का स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा  
प्रदान करेगी

### ₹14,000

हुई पेंशन की राशि

झारखण्ड राज्यकृत एडवोकेट वेलफेर फंड  
के माध्यम से सदस्यों को ₹7,000 पेंशन दी  
जा रही थी। अब राज्य सरकार इस फंड में  
राज्यांश से अतिरिक्त ₹7,000 देगी, इस तरह  
अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु पेंशन की राशि  
₹7,000 से बढ़ कर ₹14,000 हुई

### ₹5,000

हुई स्टाइपेंड राशि

नए निबंधित अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड राशि  
प्रतिमाह (पहले तीन वर्ष तक) मिलने वाली  
राशि ₹1,000 को बढ़ाकर ₹5,000 किया  
गया, इसमें 50% राशि राज्य सरकार  
वहन करेगी

अधिवक्ता हित को ध्यान में रखकर सभी अधिवक्ताओं से आग्रह है  
कि वे एडवोकेट वेलफेर फंड के सदस्य बनें और लाभ उठाएं





















